सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

17 ज्येष्ठ, 1946 (श०)

संख्या - 366 राँची, शुक्रवार, 7 जून, 2024 (ई०)

परिवहन विभाग

अधिसूचना

6 जून, 2024

अधि०सं०-03/परि.वि.-41/2021-777--सम्पूर्ण भारत में वाहनों के निर्बाध स्थानांतरण की सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं-G.S.R.594(E), दिनांक-26/08/2021 एवं अधिसूचना सं-G.S.R.879(E), दिनांक-14/12/2022 के द्वारा केन्द्रीय मोटर यान (20वां संशोधन)नियम, 2021 तथा केन्द्रीय मोटर यान (23वां संशोधन)नियम,2022 अधिसूचित किया गया है| उक्त संशोधन नियमों के द्वारा गैर परिवहन वाहनों के निबंधन हेतु नई बीएच (BH) सीरीज जारी की गई है | सम्यक विचारोपरांत उक्त संशोधन नियमों को झारखण्ड राज्य में यथावत लागू किया जाता है |

2. अधिसूचना सं-G.S.R.594(E), दिनांक-26/08/2021 के कंडिका 02 के अनुसार निजी क्षेत्र (यदि निजी कंपनी की 04 या उससे अधिक राज्यों में अवस्थित हो) एवं सरकारी कार्यालयों में कार्यरत कर्मी उक्त निबंधन के पात्र होंगे| निजी क्षेत्र में कार्यरत आवेदक निबंधन हेतु आवेदन के साथ Form 60 (केन्द्रीय मोटरयान नियमावली,1989 का नियम 47(1)(ca) देखें) प्रस्तुत करेंगे तथा सरकारी कार्यालय में कार्यरत आवेदक अधिकारिक पहचान पत्र/ सेवा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे |

3. उक्त अधिसूचना के कण्डिका 04 में BH सीरीज से आवृत वाहन का निबंधन चिहन अंकित किए जाने को परिभाषित किया गया है जो कि निम्नलिखित रीति में प्रदर्शित किया जाएगा :-

XX निबंधन के वर्ष के अंतिम दो अंक	XX भारत सीरीज कोड (2) अक्षर “BH” के रूप में	####XX चार अंकों 0001 से 9999 के पश्चात् अक्षर (अक्षरों) A,B,C,D.....Z और उसके बाद AA, AB....AZ, BA,BB...ZZ तक I,O वर्जित होंगे

4. रजिस्ट्रीकरण प्रधिकर्ता (सम्बंधित जिला परिवहन पदाधिकारी) के द्वारा Form 60/ अधिकारिक पहचान पत्र का सत्यापन किया जाएगा| सत्यापन के पश्चात् निबंधन चिहन यादृच्छिक (randomly) रूप से रजिस्ट्रीकरण प्राधिकर्ता के द्वारा जारी किया जाएगा |

5. BH सीरीज में वाहनों के निबंधन के समय उक्त संशोधन नियम,2021 के कंडिका 5 के अनुसार पथकर देय होगा |

6. अन्य राज्यों में BH सीरीज में निबंधन कराने वाले वाहनस्वामी का यदि झारखण्ड राज्य में स्थानांतरण हो जाता है तो उक्त संशोधन नियम,2021 के कंडिका 6 के अनुसार वाहनस्वामी 30 (तीस) दिनों के अन्दर इलेक्ट्रॉनिक रूप से पोर्टल के माध्यम से Form-33 में अपने निवास स्थान के बारे में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकर्ता (सम्बंधित जिला परिवहन पदाधिकारी) को सूचित करेंगे | उक्त वाहनस्वामी झारखण्ड राज्य में परिचालन हेतु उक्त संशोधन नियम,2021 के कंडिका 5 के अनुसार वाहन का पथकर भुगतान सुनिश्चित करेंगे |

7. सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं- G.S.R.879(E), दिनांक-14/12/2022 के द्वारा अंत:स्थापित केन्द्रीय मोटरयान नियमावली,1989 के नियम 51(B) के आलोक में सामान्य श्रेणी में निबंधित BH series हेतु योग्य वाहन का BH series में निबंधन हेतु आवेदन प्रपत्र 27A में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकर्ता के समक्ष समर्पित किया जा सकता है |

8. BH सीरीज में निबंधन की सुविधा पूर्णत ऐच्छिक होगी |

9. यह अधिसूचना झारखण्ड गजट में इसके प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होगा |

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कृपा नन्द झा,
सरकार के सचिव |
परिवहन विभाग |

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 366 - 50